राष्ट्रीय शिक्षा सभा

30 अप्रैल ,2023 :एच.के.एसभवन,नई दिल्ली

आयोजक: अखिल भारतीयजन विज्ञाननेटवर्क

समर्थन: AIFUCTO, FEDCUTA, DTF, JNUTA, SFI, STFI, AIDWA, AIFAW&H,AIDSO, AISEC, AIFRtE, RtE Forum

घोषणापत्र

भारत की शिक्षा प्रणाली के आधुनिकरण और सुधार के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020को प्रस्तुत किया। इस नीति को पूरे देश में अलग-अलग चरणोंमें सक्रिय रूप से लागू किया जा रहा है। विश्व की सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में भारत अपनी सबसे बड़ी ताक़त देश के युवाओं को मानता है। ऐसे में निश्चित रूप से भारत को एक आधुनिक औरसमान शिक्षा प्रणाली की जरूरत है, जिसमे सर्व साधारण गुणवत्ता वालीस्कूली शिक्षा और उच्चतर शिक्षा के लिए पर्याप्त वित्तीय आवंटन संभव हो।

स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों अध्ययनों और नीतियों से मिश्रित परिणाम देखने को मिले हैं।इस दौरान जहां एक ओर कई उत्कृष्ट परिणाम देखने को मिले हैं वहीं दूरी ओर निराशा का भी सामना करना पड़ा है। काफी मशक्कतों के बादसंसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) पारित किया गया। संविधान में 86वां संशोधन करते हुए अनुच्छेद 21ए के तहत6-14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की आश्वासन दिया गया। हालांकि,शिक्षा क्षेत्र में कम सरकारी खर्च, कम शिक्षक-छात्र अनुपात, गुणवत्ता की कमी, स्कूलों में कम नामांकन और अधिक ड्राप-आउट जैसी कई समस्याओं ने विशेष रूप से लड़कियों, अनुसूचित जाति/जनजाति और गरीब ग्रामीण छात्रों को प्रभावित किया है।इसके परिणामस्वरूप इन वर्गों में उच्च शिक्षा संस्थानों में कम नामांकन, अधिकांश क्षेत्रों में कम गुणवत्ता और शिक्षा तथा रोजगार या रोजगार क्षमता के बीच असंतुलनकी समस्या मौजूद रहती है।

दुर्भाग्य से एनईपी ने इनमें से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं किया है। बल्कि इसके लागू होने से पहले ही शिक्षाविदों, शिक्षिकों,संगठनों, छात्रों, अभिभावकों, महिलाओं और जनप्रिय आंदोलनों जैसे जनविज्ञान आंदोलन (पीएसएम (द्वारा नीति से सम्बंधित सभी चिंताओं की पुष्टि भीहो गई है।एनईपी के कार्यान्वयन से देश की शिक्षा प्रणाली को पीछे की ओर धकेला जा रहा है, जिसके गंभीर परिणाम न केवल शिक्षा परबल्कि समान विकास, प्रगतितथा भारत के बच्चों और युवाओं के भविष्य पर भी पड़ेंगे।

इससे भी अधिक चिंताजनक तो एनईपी को संसद में प्रस्तावित किए बिना या संसद की मंजूरी के बिना औरआरटीई अधिनियम के कई विरोधाभासी नियमों के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है।एनईपी राज्यों की अधिकार को भी उल्लंघन करता है, जिनके पास संयुक्त सूची के तहत शिक्षा की संयुक्त जिम्मेदारी होती है। लेकिन इस सम्बंध में न तो उनके साथ कोईपरामर्श किया गया हैबल्कि इस निति को केंद्र द्वारा ज़बरदस्ती थोप दिया गया। एनईपी के

नकारात्मक प्रभावपहले से ही शिक्षा के सभी क्षेत्रों जैसेग्रामीणक्षेत्रके गरीब औरमहिलाओंतथा दलितों, जनजातियों और अल्पसंख्यकोंमेंमहसूस हो रहे हैं।

नीती आयोग द्वारा व्यवस्थाओं और व्यय को समायोजित करने की निति का विस्तार करते हुए एनईपी ने देश के हजारों स्कूलों को बंद या उनका विलय कर दिया है और भविष्य में कई और स्कूलों को बंद करने की योजना है। इसके नतीजे में शिक्षा तक पहुंच कम होगी जिसका सबसे अधिक प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में होगा जहां छात्रों को स्कूल जाने के लिए और अधिक दूरी तय करना होगी। इससे ड्राप-आउट दर में वृद्धि होगी और खासकर लड़कियों की शिक्षा सबसे अधिक प्रभावित होगी। कई सरकारी स्कूलों को भी निजीकृत किया जा रहा है या निजी प्रबंधन को सौंपा जा रहा है। इस स्कूलों में अधिक फीस वसूली जाएगीजो अधिकांश लोगों की पहुंच के बाहर होगी जिससे असमानता बढ़ती जाएगी। शिक्षा पर सरकारी खर्च में वृद्धि की मांग करने वाले देश का वर्तमान जीडीपी3 प्रतिशत से कम हैजो विकासशील देशों और "उभरतीहुई अर्थव्यवस्थाओं" की तुलना में काफी कम है। इस सार्वजनिक खर्च को बढ़ाने के बजाय और कम किया जा रहा है।राष्ट्रीय सभा सार्वजनिक निवेश को कम करने व अलग-अलग निजीकरण को प्रोत्साहित करने के बजाय सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने की मांग करती है।

एनईपी ने खासकर स्कूली वर्षों के दौरान दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन, अनौपचारिक, घरेलू और वालंटरी शिक्षा पर विशेष और अनुचित महत्त्व दिया है। यह सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी से खुद को पीछे हटाना है। यह सरकार को कम नामांकन और ड्रॉप आउट के लिए एक सुविधाजनक बहाना देता है जिसमेंविशेषकर लड़कियां और वंचित वर्गशामिल हैं।कोविड महामारी के दौरानअनेक सर्वेक्षणों से देखा गया कि बहुतायत छात्र, खासकर ग्रामीण और गरीब परिवारों के छात्र, पर्याप्त स्मार्टफोन की कमी और अन्य कारणों से ऑनलाइन कक्षाओं तक पहुंच नहीं पा रहे थे। शिक्षण में सामाजिकीकरण की कमी और अन्य आपसी अभिप्रेतियों से मिलने वाले लाभों की कमी भी पाई गई। दूसरी ओर, स्कूल और उच्च शिक्षम में ऑनलाइन शिक्षण से मुख्य लाभ उन कंपनीयोंको मिला जो शिक्षा से लाभ कमाने और कोचिंग सेंटर तथा ट्यूशन की संस्कृति को प्रोत्साहित करती है। इसमें भी अधिक समर्थ वर्ग को ही भली-भांति लाभ मिलता है।ऑनलाइन शिक्षा सर्वोत्तम पूरक तो हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत शिक्षण अधिगम का विकल्प नहीं हो सकती।

एनईपी के तहत उच्च शिक्षा को और अधिकबाज़ारीकरणऔरनिजीकरण किया जा रहा है। हाल के वर्षों में, उच्च शिक्षा में नामांकन अधिकतर निजी क्षेत्रों में हुआ हैजिससे शिक्षा क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए निवेश में कमी का पर्दाफाश हुआ है। एनईपी नेनिजी इंजीनियरिंग कॉलेजों या विश्वविद्यालयों की जानी-मानी खामियों और ख़राब परिणामों के बाद भी नए निजी उच्च शिक्षा संस्थानों को भी प्रोत्साहित किया है। पूर्व में ख़राब परिणामों की वजह से सैकड़ों संस्थान बंद हुए हैंजिससे कईछात्रों का भविष्य अधर में लटक गया। कॉलेजों को "स्वायत्त" स्व-वित्तपोषित स्नातक प्रदान करने वाली संस्थानबनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा हैजिससे स्वाभाविक रूप से फीस में वृद्धि होगी। यहां तक कि सरकारी विश्वविद्यालय और कॉलेज भी लाखों रूपय के कम-अवधि वाले कोर्स की पेशकाश कर रहे हैंगरीब छात्रों की पहुंच से बाहर होगीजबकि उच्च शिक्षा संस्थानों में आमतौर पर अन्य शैक्षणिक सेवाओं की तुलना में लाभ-मुद्रित पाठ्यक्रमों पर अधिक ज़ोर दिया जा रहा है। एनईपी में विचारित पुनर्गठित विश्वविद्यालयों और स्वायत्त कॉलेजों में, शिक्षा समुदाय को प्रबंधन में कोई भूमिका नहीं मिल रही है, जो नगरीय प्रबंधन मंडलों के समान संचालन पटल में निहित होता है। राष्ट्रीय सभा इस उच्च शिक्षा के बाज़ारीकरण और निजीकरण को खारिज करती है।

उच्च शिक्षा को ऐसे समय में बड़ी अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा है, जब वर्तमान ज्ञान आधारित दौर की मांगों को पूरा करने के लिए इसे अधतन और बेहतर बनाने के लिए प्रभावी सुविचारित उपायों की आवश्यकता है। एनईपी के तहत एक विवादास्पद नई बहु-विषयक चार वर्षीय स्नातक डिग्रीको कई प्रवेश और निकास बिंदुओं और अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के साथ पेश किया गया है, जो कथित तौर पर लचीलापन और व्यवसायिक अभीविन्यास प्रदान करता है।ऐसेकोर्सकेमहत्वयामांगकेबारेमेंन तो कोईअध्ययननहींकिएगएहैं, और न हीयूनिवर्सिटीसे 1-2 वर्षकीस्नातकशिक्षाकेअनिश्चितटुकड़ोंकेसाथउत्तीर्ण होने वालेछात्रोंकेरोजगारक्षमताकेबारेमें कोई विचार किया गया है।ऐसे समय में जबनॉन-स्पेशलिस्टसरकारीनौकरियोंकेविज्ञापनोंमेंबेरोज़गारडॉक्टरेटऔरमास्टर्सडिग्रीहोल्डर्ससहितलाखोंआवेदनआतेहैं, तबइसतरहसे टुकड़ों में दी जाने वाली ग्रेजुएट, पीजीऔरपेशेवरशिक्षाकोलेकरछात्रोंऔरशिक्षाविदोंनेचिंता व्यक्त की है। फैकल्टीऔरअकादमिक लोगोंकोइसशिक्षा-सुधारयोजनाकीनिर्माणप्रक्रियासेकाफीहदतकबाहररखागयाहै। इसलिए स्नातक शिक्षा की संपूर्ण एनईपी संरचना अनिश्चित परिणामों काएक बहुत बड़ा प्रयोग है जिसमेंहमारे देश के छात्रों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है।

इस नई घोषणा में विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।इन विश्वविद्यालयों की प्रवेश प्रक्रिया ,शुल्क ,शिक्षकों की भर्ती आदि ,पर पूर्ण स्वायत्तता होगीतथा कोई आरक्षण की ज़िम्मेदारी नहीं होगी। भारत में उच्च शिक्षापहले स ,विशेष रूप से चिकित्सा और इंजीनियरिंग जैसे पेशेवर विषयों में ,े ही सीटों की कमी उच्च शुल्क और अनेक उच्च शिक्षा संस्थानों ,की गुणवत्ता की समस्या से पीड़ित है। इसके परिणामस्वरूपभारतीय छात्रों का विदेश में विश्वविद्यालयों में व्यापक प्रवास हुआ है ,।न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका , ,यूरोप या अन्य प्रगतिशील पश्चिमी देशों में बल्कि पूर्वी यूरोपीय और पूर्वी एशियाई देशों में भीअनेकों भारतीय छात्र शिक्षा ग्रहण करने गए हैं जिसमें चीन भी शामिल है।इससे भारत से विशालधनराशि का निर्वहन होता है। भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों मेंउच्च शुल्क के साथ अनिवार्य रूप सेप "आंतरिक प्रतिभा पलायन"ैदा होगा और शिक्षा और रोजगार में मौजूदा असमानताओं में और तेज़ी से वृद्धि होगी।

कई कॉलेजों के साथ संबद्धता देने वाले विश्वविद्यालयों को ख़त्म करने वाली एक नई प्रणाली इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों और टियर-2 या टियर-3 शहरों में सेवा प्रदान की जा रही है। इसके बजाय, बड़े कैंपस वाले विश्वविद्यालय उभरेंगे, जो ग्रामीण और गरीब छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना और भी मुश्किल कर देंगे।

शोध वित्तीय समर्थन भी अत्यधिक केंद्रीकृत किया जा रहा है और एनईपी में यह निजी वित्तीय समर्थन पर आश्रित है जो कभी भी उपलब्ध नहीं हुआ है।

स्कूल और उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम, शिक्षण-शैली और परीक्षण में भी कई अनचाहे बदलाव लाए जा रहे हैं।

स्कूलों के मामले में अधिकांशशिक्षाविद एकमत हैं कि बच्चों को रटने के आधारित परीक्षाकेंद्रित अध्ययन से अत्यधिक - जैसा कि आरटीई और पूर्व में सीबीएसई द्वारा भी ,बोझ नहीं देना चाहिएज़ोर दिया गया था। हालांकि ,एनईपी में ,वीं3 8वीं ,10वीं और जो कि राज्य स ,वीं कक्षाओं के बाद केंद्रीकृत राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की मांग की गई है12ंतर की परीक्षाओं के बजाय होंगी।इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश भी एक और परीक्षा CUET(कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पर आधारित होगा जिसे छात्रों (पर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। राज्य सरकार के संस्थानों सहित देश के किसी भी चिकित्सा शिक्षा संस्थान में प्रवेशकेंद्रीयकृत परीक्षाओं के तहत होता है। ये सभी परीक्षाएं केंद्रीय राष्ट्रीय NEET

परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित कीजा रही हैंजिससे राज्य स्तरीय बोर्ड या अन्य संरचनाओं कोकमज़ोर किया जा रहा है। पूर्व में सभी राज्यों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा निर्धारित किया जाता थालेकिन अब यह केंद्रीय ढांचा के आधार पर तैयार किया जा रहा है। सीबीएसई स्कूलों के अलावा कई राज्यों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों को भी केंद्रीय रूप से तैयार किया जा रहा है।जबकि शिक्षाविदों ने स्थानीय संस्कृति और परिस्थितियों के आसपास ढांचा बनाने के लाभों को ज़ोर दिया है। जितना अधिक महत्व केंद्रीकृत परीक्षाओं को दिया जाएगा उतना अधिकदबावछात्रों पर होगा।इसका सबसे अधिक लाभ कोचिंग सेंटर्स को होगा जिससेएक बार फिर कमजोर छात्रों को असुविधा होगी जैसे आईआईटी/जेईई, यूपीएससी, आदि परीक्षाओंमें हो रही है।

यह को हैरानीवाली बात नहीं है कि इस केंद्रीकरण का उपयोग सत्ताधारी व्यवस्था का एक-संस्कृति, एक-भाषा की धारणा के तहत किया जा रहा है ताकि विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और जातियों की आपसी भिन्नताओं को संयुक्त भारतीय राष्ट्र के नाम पर थोपा जा सके। हालांकि, एनईपी मातृभाषा में शिक्षा पर ज़ोर तो दिया गया हैलेकिन इसकी पाठपुस्तकों और पाठ्यक्रमों में सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से यह विचार प्रसारित किया जाता है कि भारत में सभी संस्कृति, ज्ञान, और इतिहास वैदिक-संस्कृतिक प्रणालियों के आस-पास उत्पन्न हुआ है और अन्य संस्कृतियों के योगदानों तथाभारत के भीतर अन्य संस्कृतियों और गैर-भारतीय सभ्यताओं के योगदानों का कम या कोई उल्लेख नहीं किया गया हैजो प्राचीन और मध्यकालीन काल दोनों में ज्ञान और संस्कृति के सक्रिय आदान-प्रदान में भाग लेने वाली थी।

हालिया दौर में देश घोर सांप्रदायिकता और विचारधारा से प्रेरित भारतीय इतिहास, पुनर्गठित एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में स्वतंत्रता के बाद की राजनीति और विकासात्मक पथमें हो रही छेड़छाड़ से स्तब्ध है। इन किताबों से मुगल शासन पर अध्याय तो पूरी तरह से हटा ही दिए गए हैं, यहां तक कि पर्यावरणीय मुद्दों, महिलाओं के अधिकारों, जाति-विरोधी संघर्षों और कई अन्य लोकप्रिय आंदोलनों, आदि की भूमिका को भी हटा दिया गया है। विज्ञान को भी इन परिवर्तनों का सामना करना पड़ा है जहां कक्षा 12 तक डार्विन और जैविकीय विज्ञान को हटा दिया गया है और औद्योगिक क्रांति को भी समाप्त किया गया है, ताकि यह बताया जा सके कि सभी वैश्विक ज्ञान भारत कोबाकी दुनिया से ज्यादा पहले ही ज्ञात था और प्राचीन भारतीय (हिंदू) ज्ञान सभी से बेहतर था।यह शिक्षा नहीं बल्किछात्रों को गुमराह कर रहे है! राष्ट्रीय सभा इन परिवर्तनों की कड़ी निंदा करती है जो भारतीय छात्रों को उनकी ज्ञान, उच्च शिक्षा, समीक्षात्मक सोच और सामान्य जीवन में गंभीर नुकसान पहुंचाएगी।

एनईपी के 3 से 6 वर्ष तक की प्रारंभिकबाल अवस्था शिक्षा के लिए Early Childhood Care) and Education ईसीसीई(पर ज़्यादाज़ोर दिया है जिसका उद्देश्य बढ़ते बच्चों को पोषण और अन्य देखभाल प्रदान करना है।हालांकि, ईसीसीईको गलत ढंग से स्कूल के लिए तैयारी और स्कूल प्रणाली में सम्मिलित करने की वृत्तिस्थापना की जा रही है, जिसके कारण स्कूल के स्टाफ पर कई अतिरिक्त-शैक्षिक जिम्मेदारियाँ पड़ रही हैं। इससे बाज़ारीकृत निजी पूर्व-स्कूल प्रणाली को मान्यता मिलती है, और आंगनवाड़ी द्वारा बहुत सी कमियों के बावजूद कड़ी मेहनत से लागू की जा रही Integrated Child Development Services (ICDS)को कमज़ोर करती हैं। आंगनवाड़ीईसीसीईके लिए एक युक्तियात्मक और पसंदीदा स्थान हैं, क्योंकि वे पहले से ही शिशु, पोषण और मां-बच्चे की देखभाल करते हैं। हालांकि, आंगनवाड़ी और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी महत्वपूर्ण सेवाओं को एनईपी के तहत वादा किए गए अतिरिक्त प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे से वंचित कर दिया गया है। 5 वर्षीय बच्चों के लिए स्कूलों में "बालवाटिका" का आरम्भ भी आंगनवाड़ी

को कमज़ोर करता है और पड़ोसी आंगनवाड़ी प्रणाली के संगठन को खत्म करने के मौके देता है। राष्ट्रीय सभा ईसीसीईको उन्नत आंगनवाड़ी में मुख्य रूप से पुनर्गठन और मजबूत करने, और उनमें नौकरी की वैधीकरण और वेतन में सुधार करने की मांग करती है।

ये सभी बदलाव राज्यों पर थोपे जा रहे हैं।इसमेंयूजीसी, एनसीईआरटी, शिक्षा मंत्रालय, ब्यूरोक्रेसी और वित्तीय दबाव के साथी केंद्रीय संस्थानों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि विरोधी और इच्छाशक्ति वाले राज्य सरकारों को एनईपीअपनाने के लिए मजबूर किया जा सके।

विभिन्न राज्य सरकारें, शिक्षक, छात्र और गैर-शिक्षक कर्मचारिय संघ एवं संगठन, अन्य जन आंदोलन और गैर-सरकारी संगठन, शिक्षाविद और विशेषज्ञसभीएनईपी का विरोध और इसको रद्दकरने की मांग कर रहे हैं। कई राज्यों में, लोकप्रिय प्रदर्शनों ने पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यक्रमों को वापस लेने या संशोधित करने या मौजूदा पुस्तकों को जारी रखने की मांग की है। छात्रों और उनके अभिभावकों, विशेष रूप से कार्यवर्ग, किसान, कृषि मजदूर, पिछड़ाऔर अन्य मेहनतकश लोगों द्वारा विरोध आंदोलनों की व्यापक आवश्यकता हैजो एनईपी के तहत परिवर्तनों से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा सभा एक वैकल्पिकजन शिक्षा नीति की मांग करती है जो सार्वजनिक शिक्षा के आसपास बनी हो, सभी वर्गों के लिए पहुंचने योग्य हो और भारतीय जनसाधारण की क्षमताओं को आधुनिक, सांस्कृतिक विविधता, समान और स्वनिर्भर अर्थव्यवस्था और समाज में बढ़ावा देती हो। इस संगठन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा सभा राज्य सरकारों से एनईपी और इसके अवांछित विशेषताओं का विरोध करने और एक प्रगतिशील जन शिक्षा प्रणाली के पक्ष में काम करने के लिए सहयोग और समर्थन मांगती है।

शिक्षाबचाओ! राष्ट्रबचाओ!!